

30/8/18

Received
30/8/18

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं०-IV-22/2018 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-14 पर दिनांक 29.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी स्व० रामदास यादव पे०-स्व० जनक प्रसाद यादव, साकिन+पो०-बड़ी कोठिया, थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया के मृत्योपरान्त उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 41/1990 (खगड़िया थाना) को रद्द किया जाता है। आर्म्स नियमावली 2016 के नियम 47 के तहत आवेदक लगनवति देवी पति-स्व० रामदास यादव, साकिन+पो०-बड़ी कोठिया, थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र सं०-8008 B/7 1989 (बन्दूक एवं 20 (बीस) जिन्दा कारतूस) खगड़िया थाना के मालखाना में जमा करते हुए पावती रसीद की छायाप्रति एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका को मूल में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/ -

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-22/2018.....785...../जी०, दिनांक 29.8.18

- प्रतिलिपि : लगनवति देवी पति-स्व० रामदास यादव, साकिन+पो०-बड़ी कोठिया, थाना-मुफसिल, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, नगर थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी०प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।